



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 7, सोमवार, शाके 1934-मई 28, 2012

Jyaistha 7, Monday, Saka 1934-May 28, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, मई 28, 2012

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके संबंध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

- (i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 3 क के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 को क्रमशः पुनसंख्यांकित कर 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7), 19(8), 19(9), 19(10), 19(11), 19(12), 19(13), 19(14) एवं 19(15) किया जावेगा एवं;
- (ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 3 क के सामने कॉलम संख्या 3 की संख्या 19(15) यथा पुनसंख्यांकित, के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 19(16), 19(17), 19(18), 19(19), 19(20), 19(21), 19(22), 19(23), 19(24), 19(25), 19(26), 19(27), 19(28), 19(29), 19(30), एवं 19(31) एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

19(16)	अतिरिक्त नाका प्रकरण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीन माह में	अधिशायी अभियंता	अधिशायी अभियंता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता	-
19(17)	आड स्वीकृति के प्रकरण (भूमि के बंटवारे के कारण)	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दो माह में	अधिशायी अभियंता	अधिशायी अभियंता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता	-
19(18)	आपसी बंटवारे के कारण पानी की बारी में संशोधन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में	अधिशायी अभियंता	अधिशायी अभियंता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता	-

	19(30)	स्वीकृत चक प्लान की प्रति	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 7 दिवस में	अधिशाली अभियंता	अधिशाली अभियंता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता	-
	19(31)	चक के हाइड्रोलिक डाटा	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 7 दिवस में	अधिशाली अभियंता	अधिशाली अभियंता/ कार्यालय मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता	-

राज्यपाल के आदेश से,

आर.पी.जैन
प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

नोट:- (1) अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 के कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 3 क के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 को क्रमशः पुनसंख्यांकित कर 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), 19(7), 19(8), 19(9), 19(10), 19(11), 19(12), 19(13), 19(14) एवं 19(15) किया गई।

(2) अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 के सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 3 क के सामने कॉलम संख्या 3 की संख्या 19(15) यथा पुनसंख्यांकित, के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 19(16), 19(17), 19(18), 19(19), 19(20), 19(21), 19(22), 19(23), 19(24), 19(25), 19(26), 19(27), 19(28), 19(29), 19(30), एवं 19(31) एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी गई।